कार्यालयः— उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

(नजारत शाखा)

अल्पकालीन निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक—10/यो0अ0—21/2017—18—23/आ0रा0, दिनांक 17.04.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष—2017—18 के लिए समाहरणालय स्थित विभिन्न राजस्व कार्यालय हेतु "वाह्य स्त्रोत" से वाहन के चालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, सफाईकर्मी (झाड़ूकश), स्वीपर एवं बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रीशियन) की सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 16.03.2018 अपराह्न 03:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, लातेहार में दिया जा सकेगा। निविदा दिनांक 16.3.18 को अपराह्न 4.00 बजे उपायुक्त कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।

5. चयनित एजेंसी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय प्रधान के अनुमोदन एवं संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।
6. चयनित एजेंसी द्वारा संबंधित कार्यालयों में कर्मी उपलब्ध कराया जायेगा।
7. चयनित एजेंसी को कार्य करने वाले सभी कर्मी की गुणवत्ता संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
8. चयनित एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मी निर्धारित ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र में होंगे।

निविदादाता को दो अलग—अलग सील बन्द लिफाफों में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अंकित करना होगा। केवल सील बन्द लिफाफें ही स्वीकार किये जायेगे।

तकनीकी बीड के अंतर्गत निम्नांकित कागजात संलग्न करना होगाः—

क. संस्था एवं व्यक्ति का GST पंजीकरण देना अनिवार्य है।

ख. संस्था/व्यक्ति का कम्पनी अधिनियम—1956 अंतर्गत पंजीकरण/सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंतर्गत पंजीकरण।

ग. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार अंतर्गत मैनपावर प्रोवाईडर/हाउस किपिंग हेतु पंजीकरण।

घ. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत पंजीकरण।

ङ. संस्था के प्रोपराईटर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत

च. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 50,000/— रूपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से देना होगा। अग्रधन/जमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

छ. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के लिए विगत 02 वर्षो का आयकर रिटर्न, आडिट रिर्पोट सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

ज. चयनित एजेंसी द्वारा लातेहार जिला के स्थानीय युवक/युवतियों को ही वाहन के चालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, सफाईकर्मी (झाडूकश), स्वीपर एवं बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रीशियन) के पद पर नियुक्त करना होगा।

वित्तीय बीड– उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदादाता को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक –752/दिनांक 31.03.2017 द्वारा कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों का अद्यतन मजदूरी दर के साथ Quote करना होगा। यह निविदा 01 (एक) वर्ष हेतु मान्य है।

निविदा स्वीकृत करने अस्वीकृत करने अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। यह निविदा लातेहार जिला के वेबसाईट www.latehar.nic.in पर देखा जा सकता है।

23/03/18

उपायुक्त,लातेहार।

ज्ञापांक 31......./नजा0, दिनांक 23 /02/2018

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों के अगले संस्करण में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को लातेहार जिला के वेबसाईट www.latehar.nic.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित की जाय।

23/04/18

उपायुक्त,लातेहार।